ए.बी.वी.पी. के राष्ट्रीय अधिवेशन में 1485 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया

- 986 छात्र, 344 छात्रा कार्यकर्ता तथा 129 प्राध्यापक कार्यकर्ता एवं 4 अन्य कार्यकर्ता रहे। इसके अलावा मित्र देश नेपाल से भी 22 अतिथि प्रतिभागी सम्मिलित हुए
- रंगारंग कार्यक्रमों में भारत के विभिन्न प्रांतों की मनमोहक परंपराओं का चित्रण सजीव हो उठा। अधिवेशन के अंतिम दिन परिषद की नवीन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी घोषणा हुई

जयपुर, (का.सं.)। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ए.बी.वी.पी.) का 68वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन महाराणा प्रताप नगर (जे. ई. सी. आर. सी.) विश्वविद्यालय, जयपुर में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में देश के सभी प्रांतों से कुल 1485 प्रतिनिधि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिनमें 986 छात्र, 344 छात्रा कार्यकर्ता तथा 129 प्राध्यापक कार्यकर्ता एवं 4 अन्य कार्यकर्ता रहे। इसके अलावा मित्र देश नेपाल से भी 22 अतिथि प्रतिभागी सम्मिलित हुए। देश के सुदूर पूर्वोत्तर राज्यों, मणिपुर, नागालैंड तथा मिजोरम आदि से लेकर अंडमान निकोबार,जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख से भी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।

अधिवेशन के प्रथम दिन (25 नवम्बर) उद्घाटन सत्र में योग गुरु स्वामी राम देव मुख्य अतिथि रहे। दूसरे दिन (26 नवम्बर) को जयपुर शहर में 'लघु भारत' दर्शन हुये जिसमें सभी प्रांतों से आए अभाविप के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनकी पारंपरिक वेशभूषा में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। जयपुर के नागरिकों ने जगह-जगह पर शोभायात्रा पर पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। साथ ही प्रसिद्ध अल्बर्ट हॉल पर खुला अधिवेशन हुआ जिसमें नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. राजशरण शाही की उपस्थिति में राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल एवं अन्य छात्र नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अंतिम दिन प्रतिष्ठित प्रो. यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्य अथिति के रूप में उपस्थित रहे। इस वर्ष यह पुरस्कार बुलढाना, महाराष्ट्र के युवा समाज सेवी नन्द कुमार पालवे को दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार निराश्रितों और मानसिक रूप से दिव्यांगो को पोषण, स्वास्थ्य एवं स्नेह देकर उनका सम्मानजनक पुनर्वास करने के उनके सराहनीय सेवा कार्य के लिए दिया गया है। पुरस्कार में प्रोत्साहन राशि के रूप में 1 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है।

अधिवेशन में कई महत्वपूर्ण विषयों पर पदाधिकारियों ने भाषण दिए। अभाविप के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री प्रफुल्ल आकांत ने स्वावलंबी भारत में युवाओं की भूमिका तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह मुकुंद ने वैचारिक विमर्श स्थापित करने में अभाविप की भूमिका विषय पर भाषण दिए। अधिवेशन के मुख्य आकर्षण में अपने गौरवशाली इतिहास का याद दिलाती हमारे पूर्वजों की मूर्तियां रही। अधिवेशन से पूर्व रानी पझावती महान शौर्य, साहस, समर्पण, एवं बलिदान से सनी चितौड़गढ़ किले की मिट्टी भी एकत्र कर लाई गई है। अधिवेशन के अंत में यह मिट्टी सभी प्रांतों के कार्यकर्ता अपने-अपने प्रांतों में लेकर गये।

अधिवेशन में कार्यकर्ताओं ने हुनरबाज मंच के माध्यम से प्रतिभा प्रदर्शन कर विभिन्न प्रस्तुतियां भी दी। रंगारंग कार्यक्रमों में भारत के विभिन्न प्रांतों की मनमोहक परंपराओं का चित्रण सजीव हो उठा। अधिवेशन के अंतिम दिन परिषद की नवीन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी घोषणा हुई।

प्रदेशभर से जयपुर पहुंचे पशु चिकित्सकों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मंगलवार को एमआई रोड स्थित शहीद स्मारक पर एकत्रित होकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर धरना दिया।

''राइट टू हैल्थ'' विधेयक में देरी पर चिंता जताई

जन स्वास्थ्य अभियान राजस्थान की राज्य स्तरीय बैठक राजस्थान प्रौढ़ शिक्षण समिति, जयपुर के परिसर में आयोजित की गयी।

जयपुर, (का.सं.)। जन स्वास्थ्य अभियान राजस्थान की एक दिवसीय राज्य स्तरीय बैठक 29 नवम्बर को राजस्थान प्रौढ़ शिक्षण समिति, जयपुर में आयोजित की गयी जिसमें राज्य भर के विभिन्न ज़िलों से लगभग 85 स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य अधिकारों पर कार्यरत संस्थानों एवं संगठनों के प्रतिनिधियों तथा जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भाग लिया।

बैठक में राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य मुद्दों पर चर्चा की गयी जिसमें से स्वास्थ्य का अधिकार कानून (राइट टू हैल्थ) पर अहम चर्चा रही। बैठक उपरान्त मीडिया को संबोधित करते हुए अभियान के सदस्यों ने इस विधेयक के लाये जाने में सरकार द्वारा लम्बी देरी पर चिंता व्यक्त की और सरकार की मंशा पर सवालिया निशान खड़े किये। अभियान ने सरकार द्वारा 22 सितम्बर को विधान सभा में पेश किये राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक में आवश्यक सुधार हेतु अविलम्ब प्रवर समिती का गठन करने और विधेयक को जल्द से जल्द पारित किये जाने की मांग उठाई है।

रोहित जोशी को दिल्ली छोड़ने की अनुमति नहीं मिली

- दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने इस संबंध में पेश प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया

जयपुर, (का.सं.)। दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने युवती से दुष्कर्म के मामले में अग्रिम जमानत पर चल रहे जलदाय मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी को दिल्ली से बाहर जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में रोहित जोशी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। रोहित जोशी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर कर दिल्ली के न्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर जाने की अनुमति मांगी थी।

रोहित को दिल्ली के सदर थाने में दर्ज बलात्कार मामले में अग्रिम जमानत देते हुए कोर्ट ने दिल्ली से बाहर जाने पर रोक लगाने की शर्त लगाई थी। रोहित ने प्रार्थना पत्र में कहा था कि जांच पूरी हो चुकी है और पुलिस को अब उससे पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। उसने जांच में पूरी तरह से सहयोग किया है। ऐसे में उसे दिल्ली से बाहर जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। जिसका विरोध करते हुए राजकीय अधिवक्ता ने कहा कि सरकार ने जमानत रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया है। रोहित प्रभावशाली परिवार से आता है और उसके पिता राजस्थान में कैबिनेट मंत्री हैं। ऐसे में रोहित प्रकरण की पीड़िता को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में उसे दिल्ली से बाहर जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने रोहित के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।

बेटी की शादी के लिए बैंक से पैसे निकालने पहुंचे व्यक्ति से ठगी

- आरोपी ने नोट फटे होने का झांसा देकर 500 रुपये की गड्डी पार कर ली

जयपुर। ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में एक व्यक्ति अपनी बेटी की शादी के लिए बैंक से 3 लाख 50 हजार रुपए कैश निकालने गया था। तभी एक बदमाश ने उसे बातों में फंसाकर 500 रुपये की गड्डी लेकर फरार हो गया। इस संबंध में पीड़ित की ओर से थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर बैंक के अंदर और बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाल रही है।

पुलिस ने बताया कि जामडोली निवासी बजरंग लाल शर्मा बैंक में नकदी निकालने के बाद वापस घर लौट रहे थे, तभी वहां मौजूद एक अधेड व्यक्ति ने पीड़ित को बातों में उलझाया और इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस की प्रारम्भिक जांच में सामने आया कि पीड़ित के पिता ने गांव की जमीन बेचकर 3 लाख 50 हजार रुपए की राशि उसे दी थी। पीडित की बेटी की शादी होनी है और उसी के लिए वह को बैंक से राशि निकालने के लिए गया था। जब पीडित ने राशि निकाली तभी काउंटर के पास के अधेड़ व्यक्ति आया, जिसने पीड़ित से पेन मांगा। इस पर पीडित ने उसे पेन दे दिया। कुछ देर बाद वो व्यक्ति पेन लौटाने के बहाने वापस आया और कहा कि उसने जो नकदी काउंटर से प्राप्त की है, वह पेट्रोल पंप से आई है। पेट्रोल पंप से आए हुए नोट फटे हुए होते हैं, ऐसे में एक बार वह सभी नोटों की जांच कर ले। इतना कहने के बाद उस व्यक्ति ने पीड़ित को 500 रुपए का एक फटा हुआ नोट भी दिखाया। जिस पर पीड़ित उस व्यक्ति की बातों में आ गया और काउंटर के पास ही नोट जांचने लगा।

इस दौरान उस व्यक्ति ने पीड़ित के नोटों की गड्डी को हाथ में उठाते हुए कहा कि जिस जगह पर गड्डी पर रबर बेंडिंग लगी होती है, उस जगह से नोट की जांच करें क्योंकि नोट वहीं से फटे होते हैं। इस पर पीड़ित ने नोट की जांच करना जारी रखा और वह व्यक्ति वहां से चला गया। जब पीडित ने राशि गिनी तो वह 3 लाख 50 हजार रूपये के स्थान पर 3 लाख ही मिली। इसके बाद पीडित ने उस व्यक्ति को बैंक के अंदर और बाहर काफी तलाशा, लेकिन वह नहीं मिला।

कोर्ट कर्मचारी रहेंगे सामूहिक अवकाश पर

जयपुर, (का.सं.)। न्यायिक अफसर के निवास पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सुभाष मेहरा के आत्मदाह से जुड़े मामले शहर की अधीनस्थ अदालतों के कर्मचारियों की ओर से चल रहा सामूहिक अवकाश 12वें दिन भी जारी रहा। वहीं तीस नवंबर से प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों के कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। वहीं नत्थू सिंह तंवर के संयोजन में प्रांतीय संघर्ष समिति का गठन किया गया है। दूसरी ओर राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री सतबीर सिंह का आमरण अनशन नौवें दिन भी जारी रहा।

संघर्ष समिति के अध्यक्ष बद्रीलाल चौधरी ने बताया कि मंगलवार को प्रांतीय महासभा का आयोजन किया गया। जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों के कर्मचारी नेता शामिल हुए। मामले में हाईकोर्ट की ओर से गठित कमेटी के साथ हुई वार्ता के बाद कर्मचारियों को कमेटी की ओर से कोई रिस्पांस नहीं मिलने पर कर्मचारियों में गहरा रोष व्याप्त है।

जेकेके में आज होगी साहित्यिक वार्ता

जयपुर (का.सं.)। जवाहर कला केंद्र व एलायंस फ्रांसेइस के संयुक्त तत्वावधान में 30 नवंबर, को साहित्यिक वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। कृष्णायन सभागार में शाम 4 बजे फ्रांसीसी लेखक प्रो. फैबियन चार्टियर, लेखक और अनुवादक सौदामिनी देव के साथ चर्चा में शामिल होंगे।

प्रदेश में केवल 3 ही नए करोना संक्रमित मिले मंगलवार को

- राज्य में तीसरी लहर के बाद यह पहला मौका है जब इतने कम नए संक्रमित मिले हैं

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में करोना संक्रमितों की संख्या में और गिरावट आई है। इस दौरान मंगलवार को 3 ही नए मरीज मिले हैं। वहीं 17 रोगियों के ठीक होने से एक्टिव केस घटकर 76 रह गए हैं। राज्य में पिछले चौबीस घंटों में इस बीमारी से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है।

प्रदेश में मंगलवार को जयपुर, चित्तौड़गढ़ और अलवर में 1-1 नया संक्रमित मिला है। वहीं इससे पहले सोमवार को 7 रोगी पाए गए थे। राज्य में करोना की तीसरी लहर के बाद मंगलवार को यह पहला मौका है जब इतने कम नए संक्रमित मिले हैं।

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में 17 मरीजों के ठीक होने से एक्टिव केस घटकर 76 रह गए हैं। राजधानी जयपुर में आज 1 और मरीज के ठीक होने से 25 एक्टिव केस रह गए हैं।

प्रदेश में मंगलवार को भी करोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई। हालांकि राज्य में अब तक इस बीमारी से 9653 लोगों की मौत हो चुकी है।

अतिक्रमियों के आवास तोड़ने पर रोक

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर जिले की श्रीमाधोपुर तहसील के ग्राम करडका की सरकारी भूमि पर बसे अतिक्रमियों के आवास तोड़ने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव और सीकर कलेक्टर सहित अन्य से जवाब मांगा है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश साधूराम व ढाई दर्जन से अधिक अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता धर्मेन्द्र कुमार बराला ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता और उनके परिवार करीब छह दशक से इस भूमि पर पक्का निर्माण कर रह रहे हैं। राज्य सरकार ने उन्हें बिजली और पानी का कनेक्शन भी दे रहा है।

दुबई के यात्री से जयपुर एयरपोर्ट पर 582 ग्राम सोना जब्त

जयपुर। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की टीम ने मंगलवार को 582.200 ग्राम तस्करी का सोना पकड़ा है। पकडे गए तस्करी के सोने की कीमत करीब 31 लाख 43 हजार रुपये बताई जा रही है। यात्री इमरजेंसी लाइट में सोना छुपाकर दुबई से जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचा था।

कस्टम विभाग की टीम ने सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के प्रावधानों के तहत तस्करी के सोने को जब्त कर लिया है। कस्टम विभाग के अधिकारी पूछताछ करके पता लगाने का प्रयास कर रहे है कि तस्करी का सोना कहां पर पहुंचाया जाना था। सोना तस्करी में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। फिलहाल कस्टम विभाग की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। कस्टम विभाग की उपायुक्त नीलिमा खोरवाल ने बताया कि यात्री दुबई से फ्लाइट में बैठकर जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचा था। यात्री की चाल से संदेह होने पर कस्टम विभाग के अधिकारियों ने यात्री को रोका और चेकिंग की। एक्सरे मशीन में यात्री के बैग की जांच की गई और पूछताछ करने पर यात्री संतोषपूर्वक जवाब नहीं दे पाया। यात्री ने किसी भी प्रकार की वस्तु को अपने पास होने से इनकार कर दिया। कस्टम विभाग की टीम ने यात्री के सामान की सघनता से जांच की तो इमरजेंसी लाइट में पेस्ट के रूप में 582.200 ग्राम तस्करी का सोना बरामद किया गया। इस तस्करी के सोने की कीमत करीब 31.43 लाख रुपये आंकी गई है। कस्टम विभाग की टीम ने सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के प्रावधानों के तहत तस्करी के सोने को जब्त कर लिया है।

अब ज्योति नगर में जमा करा सकेंगे दस्तावेज

जयपुर, (का.सं.)। जयपुर शहर के पेंशनर्स को बड़ी राहत प्रदान करते हुए एक दिसंबर से ज्योति नगर, पेंशन भवन, जयपुर में एक एक्सटेंशन काउंटर खोला जा रहा है जहां पेंशनर प्रथम भुगतान के अपने आवश्यक दस्तावेज जमा करा सकेंगे।

पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग के निदेशक संजय सोलंकी ने बताया कि जयपुर शहर में पेंशनर को वर्तमान में प्रथम भुगतान के लिए त्रिपोलिया बाजार में आतिश मार्केट के पीछे पेंशन कोषालय में प्रथम भुगतान के लिए जाना होता था। शहर से दूर कॉलोनियों में रहने वाले पेंशनर को दूरी के कारण और शहर में अत्यधिक भीड़ से यातायात बाधित होने के कारण वहां जाने में असुविधा होती थी। उन्होंने बताया कि इसी को ध्यान में रखते हुए एक दिसंबर 2022 से कोषालय जयपुर (पेंशन) कार्यालय का एक एक्सटेंशन काउंटर पेंशन भवन, ज्योति नगर जयपुर में खोला जा रहा है।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

वरिष्ठ व्यंग्यकार फारूक आफरीदी को 'सूर्यमल्ल मीसण' सम्मान

जयपुर, (का.सं.)। देश के प्रतिष्ठित साहित्यकार, सौ से अधिक पुस्तकों के लेखक और विधिवेता डॉ. संजीव कुमार और वरिष्ठ व्यंग्यकार फारूक आफरीदी के साहित्यिक क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए विकल्प जन सांस्कृतिक मंच कोटा द्वारा 'सूर्यमल्ल मीसण' सम्मान प्रदान किया गया।

मुख्य अतिथि डॉ संजीव कुमार ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारतीय वांग्मय को समृद्ध बनाने में कवियों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। कविता ने सामाजिक जीवन में परिवर्तन और शुचिता लाने में महती भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि सृजन क्षेत्र में चिंतन का सर्वाधिक महत्व है और साहित्य को ठोस कसौटी पर कसने से ही रचनाशीलता को सम्मान दिलाया जा सकता है। उत्कृष्ट साहित्य सृजन से ही पाठकों में रचनाशीलता के प्रति अभिरुचि जागृत की जा सकती है।

सम्मान समारोह की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ व्यंग्यकार और कवि फारूक आफरीदी ने कहा कि वर्तमान समय में समाज में बढ़ती घृणा, हिंसा, असहिष्णुता पर अंकुश लगाना है तो समाज सापेक्ष साहित्य सर्जन जरूरी है। हमारे साहित्य सृजकों ने सदियों से शांति, सद्भाव, अहिंसा और सहिष्णुता का संदेश देकर मनुष्य का गौरव बढ़ाया एवं हमारी संस्कृति को समृद्ध किया है। हम कबीर के रास्ते पर चलकर ही समाज में स्वस्थ जीवन मूल्यों की पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इससे पूर्व राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर और सारंग साहित्य समिति, कोटा द्वारा कबीर पारख संस्थान में संभागीय रचनाकार सम्मेलन में डॉ संजीव कुमार और फारूक आफरीदी का सम्मान किया गया। सम्मेलन में विभिन्न साहित्यिक सत्रों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर और सारंग साहित्य समिति, कोटा की ओर से कबीर पारख संस्थान में आयोजित संभागीय रचनाकार सम्मेलन में प्रतिष्ठित साहित्कार डॉ. संजीव कुमार और वरिष्ठ व्यंग्यकार फारूक आफरीदी का सम्मान किया गया।

सम्पत्ति-क्रय-विक्रय

इंद्रागांधीनगर/मालवीयनगर/सिद्धार्थ नगर/प्रतापनगर, (JLN-रोड/ रिंगरोड), जगतपुरा/मॉडलटाउन आसपास सभी हाउसिंगबोर्ड कॉलोनी, सेक्टर-रेजिडेंशियल/कमर्शियल/एग्रीकल्चर/ इण्डस्ट्रियल/ हॉस्पिटल/इन्स्टीट्यूशन्स/ फार्महाउसेस/रिसोर्ट, लेण्डस -(बेचने-खरीदने) हेतुः-भावना एंटरप्राइजेज, रियलिटी चेम्बरः-7599912345

खोया पाया

सांगानेर को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, सांगानेर के प्लाट नं. ई-99, नारायण विहार विस्तार, प्रताप नगर सेक्टर-3, सांगानेर के मूल पट्टा दस्तावेज कहीं गिर गए है, मिलने पर सम्पर्क करें। श्रीमति इन्द्रामणि सोनी-9314990119

मेरे मकान 163/103 प्रताप नगर, सांगानेर के मूल दस्तोज खो गए है मिलने पर सूचित करें। प्रियंका सारदा-8107809404

मेरा आवास संख्या 85/151 आरएचबी द्वारा जारी मकान जिसकी ऑरिजनल रजिस्ट्री मुझ से कहीं गुम हो गई है। मिलने पर सूचित करें। 9829595474

प्लॉट नम्बर बी-286 महल योजना, जगतपुरा का ओरिजनल अलॉटमेंट लेटर नम्बर 97 दिनांक 12.02.1998 कहीं गुम हो गया है मिलने पर सूचित करें। देवेन्द्र सिंह 9414047363

मेरे आवास संख्या 31/422, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर का मूल कब्जा पत्र कहीं गिर/गुम गया है मिलने पर सूचित करें-नोरती देवी 9057230113

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम पूनम अग्रवाल पत्नी राकेश अग्रवाल से बदलकर पूनम अग्रवाल पत्नी राकेश कुमार अग्रवाल रख लिया है। भविष्य में मुझे पूनम अग्रवाल पत्नी राकेश कुमार अग्रवाल नाम से जाना जावें। पता-21/263 कावेरी पथ मानसरोर जयपुर (राजस्थान)

मैंने अपना नाम राजेन्द्र सिंह (Rajendra Singh) से बदल कर राजेंद्र गुर्जर (Rajeindra Gurjar) रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें। पता- कॉलेज ऑफ नर्सिंग-राज. एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज जयपुर। स्थाई पता- नई कोठी पो. माधोगढ तह. खेतडी जिला झुंझुंनूं राजस्थान-333501

मैंने अपना नाम रमेश चन्द्र सैनी (Ramesh Chandra Saini) से बदल कर रमेश चन्द सैनी (Ramesh Chand Saini) पुत्र श्योनारायण सैनी निवासी डिडवाना (लालसोट) रख लिया है, भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए।

मैंने अपना ईश्वर दास चंदनानी से बदलकर ईश्वर चंदनानी कर लिया है अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाये। पता-62-ए, राधा स्वामी नगर, मुहाना मण्डी रोड, मानसरोवर, जयपुर।

Vinay Methi R/o Flat No. 103 Plot No. 14-15 Savitri Appartment, Shiv Nagar, Sanganer, Jaipur in my some Document my name wrongly mentioned as Vinay Kumar Methi but correct and actual name is vinay Methi for all purposes.

I army no. 3199000X Ex NK Sanjay Kumar S/o sh. Satbir singh R/o 18 riddhi siddhi nagar 5 bada Rama govind pura jhotwara Jaipur. That I have changed my daughter name from LINAXI To LEENAKSHI (DOB 22.6.2006) vide affidavit dated 28 nov. 2022 before district notary jaipur.

I army no. 14643099H Ex hav Rajpal Singh Gadhawal S/o Sh. Geegraj Gadhawal R/o village Sirsa post nangal govind Teh. Chomu District Jaipur that I have changed my wife name from Manju Gadhawal To Manju Kumari (DOB 15.8.1984) vide affdavit dated 28 nov. 2022 before district notary Jaipur.

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय

राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/2233 दिनांक-28.11.2022

जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 4/122 मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 162.00 वर्गमीटर/वर्गगज का आवंटन श्रीमती सतोष कांसलीवाल पत्नी श्री मोती मोहन कांसलीवाल को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 7662 दिनांक 06.03.1993 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 12.08.1993 को प्राप्त कर लिया गया था। राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 3297 दिनांक 28.02.1998 के द्वारा डा. शैलेन्द्र हरिश पुत्र वासुदेव शर्मा के नाम नियमितिकरण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 22.07.1999 को करवाया गया। इसके पश्चात डॉ. शैलेन्द्र हरिश की मृत्यु दिनांक 14.05.2018 को हो जाने के कारण इनका पुत्र श्री अजय शर्मा पुत्र स्व. डॉ. शैलेन्द्र हरिश ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं पंजीकृत हकत्याग प्रपत्र प्रस्तुत कर आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्री अजय शर्मा पुत्र स्व. डॉ. शैलेन्द्र हरिश के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।

सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाव्य देवकीनन्दन सोनी पुत्र स्व. लिछमी चन्द सोनी, आयु 57 वर्ष निवासी मकान नम्बर-110 शीतला माता मंदिर की हूंगरी, छोटा अखाड़ा, ब्रह्मपुरी, जयपुर का पुत्र लक्ष्य सोनी, आयु 22 वर्ष, उनके कहने में नहीं है व उनके साथ अभद्र व्यवहार करता है। अतः मेरे अभिभाव्य ने अपने पुत्र लक्ष्य सोनी को अपनी समस्त चल-अचल सम्पति एवं संव्यवहार से बेदखल कर दिया है तथा उससे समस्त प्रकार के सबन्ध समाप्त कर लिये हे। लक्ष्य सोनी से भविष्य में यदि कोई व्यक्ति, लेनदेन, व्यवहार करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार रहेगा, मेरे अभिभाव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

जयपुर (सुनील कुमार शर्मा) एडवोकेट
दिनांक-29.11.22 मो.-9829017211

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यह एक भूखण्ड सं. A-81, प्रिम प्रोविन्स योजना, ग्रा. गोनेर, तह. सांगानेर, जिला जयपुर (राज.) में स्थित है जिस पर मेरे पति श्री अशोक पुत्र श्री धनराज मीना ने एचडीएफसी लिमिटेड से ऋण लिया हुआ था तथा उक्त भूखण्ड A-81 के समस्त असल दस्तावेज एचडीएफसी लिमिटेड में रहन (MORTGAGE) कर रखे है।

यह कि मेरे पति श्री अशोक पुत्र श्री धनराज मीना का दिनांक 11.11.2021 को स्वर्गवास हो चुका है तथा उक्त प्लाट के पेटे लिये हुये ऋण की पूर्ण अदायगी एचडीएफसी लिमिटेड को की जा चुकी है। इसलिये अब मैं उक्त प्लाट के असल दस्तावेजों को प्राप्त करना चाहती हूँ यदि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म इत्यादि को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है तो मय दस्तावेज प्रकाशन तिथी से सात दिवस तक की अवधि में एचडीएफसी लिमिटेड सी-स्कीम (फोन नम्बर 1800200018) में सम्पर्क करें। सूचित रहे।

दिनांकः- सरोज मीना पत्नि स्व. श्री अशोक मीना निवासी-कुंजेला, तह. नादौती जिला करौली (राज.) मोबाईल नम्बर 9782425778

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय,

जे.एल.एन. मार्ग, जयाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4001853

आम जाहिर सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास/फ्लेट संख्या-10/981 (एफ.एफ.) मालवीय नगर, जयपुर क्षेत्रफल 44.198 वर्ग मीटर का आवटन श्री आर.सी.गुप्ता पुत्र श्री एन.आर. अग्रवाल को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र कमांक 124 दिनांक 26.04.2000 जारी किया गया था। उनके द्वारा आवास/फ्लेट के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर प्रथम में दिनांक 11.04.2007 को करवाया गया। तत्पश्चात श्री आर.सी.गुप्ता पुत्र श्री एम.आर. अग्रवाल के द्वारा उक्त आवास/फ्लेट का बेचान जरीये विक्रय पत्र के श्री नवल किशोर गांधी पुत्र डॉ. श्यामलाल एवं श्रीमती रीमा गांधी पत्नी श्री नवल किशोर गांधी को कर, विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर प्रथम में दिनांक 21.05.2007 को करवाया गया। तत्पश्चात श्री नवल किशोर गांधी पुत्र डॉ. श्यामलाल एवं श्रीमती रीमा गांधी पत्नी श्री नवल किशोर गांधी के द्वारा उक्त आवास/फ्लेट का बेचान जरीये विक्रय पत्र के श्रीमती रेखा भोजवानी पत्नी श्री प्रमोद भोजवानी को कर, विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर प्रथम में दिनांक 13.08.2010 को करवाया गया। श्रीमती रेखा भोजवानी की मृत्यु दिनांक 22.08.2016 को हो जाने के कारण श्री प्रमोद भोजवानी पुत्र स्व. श्री हीरानन्द भोजवानी के द्वारा आवेदन पत्र के साथ क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, हलफनामा पत्र (रजिस्टर्ड) एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास का प्रतिस्थापन अपने नाम करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास/फ्लेट के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/ बैंक/ संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता-श्री प्रमोद भोजवानी पुत्र स्व. श्री हीरानन्द भोजवानी के पक्ष में उक्त आवास/फ्लेट के प्रतिस्थापन की कार्यवाही कर दी जावेगी।

सम्पदा प्रबंधक- वृत तृतीय, रा.आ.मण्डल, जयपुर

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)

व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 5/2022
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
नाम प्रार्थी प्रदीप कुमार सोमानी पुत्र स्व. शिव प्रसाद जाति महाजन निवास स्थान 201 में फेयर रेजीडेन्सी डी/5-6 अयोध्या नगर, गाँधी पथ (पश्चिम) जयपुर।
मृतक .....की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 30.12.22
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम स्व. श्रीमती प्रेमलता सोमानी पत्नि स्व. शिव प्रसाद सोमानी जाति महाजन निवासी उपरोक्त का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 30 माह 12 सन् 2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 25 माह 11 सन् 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया। आज्ञा से-
रीडर-एडमिनिस्ट्रेटर जनरल, राजस्थान, जयपुर
मोहर अदालत